

विधान सभा सत्र - दिसंबर 2022

प्रश्न सं. [क. 1191]

सारांशित प्रश्न क्र. - 1191

मान. सदस्य - श्री सज्जन सिंह वर्मा

परिशिष्ट - 1

नवीन सहकारी समितियों को अंशपंजी की स्वीकृत किये जाने के निम्न मापदण्ड थे।

1. संस्था का पंजीयन अवधि को 03 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है।
2. संस्था द्वारा न्यूनतम अंशपंजी 2.50 लाख संधारित की गई हो।
3. संस्था किसी भी वित्तीय संस्था/बैंक की व्यतिक्रमी नहीं हो।
4. संस्था द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र मय दस्तावेज के साथ प्रस्तुत हो।
5. संस्था द्वारा विगत वर्षों में लाभ अर्जित किया गया हो।
6. संस्था द्वारा आगामी 03 वर्षों की कार्य योजना प्रस्तुत की गई हो।

MCP

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
सहकारिता विभाग।

Uy

उप आयुक्त
सहकारिता म.प्र.